UPHR010035822025

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) हरदोई।**

**उपस्थित :–योगेन्द्र चौहान, एच०जे०एस०**

**सत्र वाद संख्या–702/2025**

**उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोगी**

**प्रति**

**अमित त्रिपाठी पुत्र जयशंकर त्रिपाठी, निवासी वृंदावन सिटी, थाना माधौगंज, जिला हरदोई।**

**–––––––––अभियुक्त।**

**अ०सं०–612/2022**

**धारा–135 विद्युत अधिनयम**

**थाना–ए०पी०टी०, जनपद–हरदोई**

**–निर्णय–**

1. अभियुक्त **अमित त्रिपाठी पुत्र जयशंकर त्रिपाठी, निवासी वृंदावन सिटी, थाना माधौगंज, जिला हरदोई** का विचारण थाना – ए०पी०टी०, जिला – हरदोई की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–612/2022, अन्तर्गत धारा – 135 विद्युत अधिनयम के तहत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि– आज दिनांक 07.06.2022 को समय 17.55 बजे उपखण्ड अधिकारी कुलदीप कुमार शिवहरे वि०वि० उपखण्ड मल्लावां मय टीम श्री ऐ०के० सिंह अधिशाषी अभियंता श्री हिमांशू मौर्य टी0 जी0–2 श्री सुमित शुक्ला संविदाकर्मी में विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत काम्बिंग के दौरान मेय अनुबन्धित वाहन व चालक के वास्ते रोकथाम विद्युत चोरी विद्युत वितरण खण्ड प्रथम हरदोई थाना माधौगंज क्षेत्र के गाँव वृंदावन सिटी जनपद हरदोई नाम व पता उपभोक्ता अमित त्रिपाठी पुत्र जयशंकर त्रिपाठी, पता वृन्दावन सिटी, माधौगंज Ac– 732201014027 स्वीकृत भार/विधा 2KW/LMV–1 पाया गया। भार/विधा 2KW/LMV–1 अनुमानित (अंग्रेजी अपठनीय) विवरण मीटर बाईपास कर एक अतिरिक्त केबिल जोड़कर विद्युत का उपयोग करते पाये गये। उपभोक्ता के परिसर को चेक किया गया, तो उपभोक्ता द्वारा नजदीकी एल०टी० लाइन / ट्रान्सफार्मर से 2 कोर केबिल को जोड़कर चेक करने पर विद्युत का उपभोग करता हुआ पाया गया। मौके पर विद्युत संयोजन प्रपत्र मांगा पर वो नहीं दिखा सका। उक्त व्यक्ति का यह कृत्य भारतीय विद्युत अधिनिमय 2003/2007 की धारा 135 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है । अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

Digitally signed by YOGENDRA CHAUHAN
Date: 2026.07.25 15:42:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. समस्त संकलित साक्ष्य के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा परीक्षण हेतु अभियुक्त को आहूत किया गया।

5. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त को धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

6. **अभियुक्त अमित त्रिपाठी** के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा–135** विद्युत अधिनियम के तहत आरोप **दिनाँक–13.07.2026** को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की याचना की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी०डब्लू०–01 हिमांशु मौर्या, TG–2** ने अपने बयान में कथन किया है कि, "दिनांक 07.06.2022 को समय 17.55 बजे मैं हिमांशु मौर्या TG–2 अधिशाषी अभियंता ए०के० सिंह व उपखण्ड अधिकारी मल्लावां कुलदीप कुमार शिवहरे व संविदाकर्मी सुमित शुक्ला विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत काम्बिंग के दौरान मय अनुबंधित वाहन व चालक के वास्ते रोकथाम विद्युत चोरी विद्युत वितरण खण्ड प्रथम हरदोई थाना माधौगंज क्षेत्र के वृंदावन सिटी (मोहल्ला) जनपद हरदोई नाम व पता उपभोक्ता अमित त्रिपाठी पुत्र जयशंकर त्रिपाठी, पता वृंदावन सिटी माधौगंज खाता संख्या–732201014027 स्वीकृत भार/विधा 2KW/LMV–1 पाया गया। भार/विधा 2KW/LMV–1 अनुमानित मीटर बाईपास कर एक अतिरिक्त केबिल जोड़कर विद्युत का उपभोग करते पाया गया। उपभोक्ता के परिसर में चेक किया गया, तो उपभोक्ता के द्वारा नजदीकी एल०टी० लाइन/ट्रांसफार्मर 2 कोर केबिल को जोड़कर चेक करने पर विद्युत का उपभोग करते पाया गया। मौके पर विद्युत संयोजन प्रपत्र मांगने पर दिखा न सके। उक्त व्यक्ति पर यह कृत्य भा०वि०अधि० 2003/2007 की धारा–135 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। तहरीर उपखण्ड अधिकारी व मेरे द्वारा थाना A.P.T. पर पंजीकृत करायी गयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

8. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी०डब्लू०–02 रूहउल्ला खां, निरीक्षक** ने अपने बयान में कथन किया है कि, "दिनांक 19.09.2024 को मैं थाना ए०पी०टी० पर बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत था। उपरोक्त मुकदमा की विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा मेरे सुपुर्दगी की गयी, जिसको मैंने अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सी०डी० नंबर–1 पूर्व में विवेचक निसार अहमद द्वारा विवेचना की गयी, जिसमें नकल चिक, नकल रपट व लेखक एफ०आई०आर० व कम्प्यूटर आपरेटर का बयान मेरे द्वारा लिया गया। दिनांक 15.10.2024 को केस डायरी नंबर–2 का पर्चा मेरे द्वारा किता किया गया। जिसमें लिपिक व बयान वादी कुलदीप शिवहरे, बयान अमित कुमार सिंह, बयान हिमांशु मौर्या आदि का बयान मेरे द्वारा किता किया गया। केस डायरी नंबर–3 समस्त साक्ष्य संकलित कर वादी की निशादेही पर मौके पर

जाकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। नक्शानजरी तैयार करने के उपरांत साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र सं०–306/2025 दिनांक 05.05.2025 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मैं हेड का० सतीश कुमार वर्मा, जो मेरे थाना पर कार्यरत थे, जिनको मैं भलीभांति जानता व पहचानता हूं। सतीश कुमार द्वारा एफ०आई०आर०/प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गयी, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया व हेड मोहर्रिर द्वारा रिपोर्ट कायमी तैयार की गयी, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।''

9. अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त करने के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत **धारा 313 दं०प्र०सं०** अंकित किया गया जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत कहा। गवाहों द्वारा दिये गये बयान को गलत बताते हुए अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा व फर्जी रंजिशन चलना कहा। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया एवं कथन किया कि वह निर्दोष है।

10. अभियोजन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता (विद्युत) द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा परिसर के नजदीकी एल०टी० लाईन से संयोजन के अतिरिक्त दो कोर केबिल जोड़कर चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुआ पाया गया। जिसे विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा चेकिंग में पकड़ा गया और एफआईआर दर्ज करायी गयी। अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। उनके साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी करने का तथ्य साबित है। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की है।

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता। उसने कोई चोरी नहीं की। फर्जी आरोप लगाकार अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई अभियोग साबित नहीं है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता के खण्ड –8 उपखण्ड – 1 के उपनियम V, VI, VII का उल्लंघन किया गया है। पत्रावली पर मूल चेकिंग रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है। न ही उसे साबित किया गया है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अतः उसे दोषमुक्त किये जाने की मांग की गयी है।

12. उभय पक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

13. **इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा नजदीकी एल०टी० लाईन से संयोजन के अतिरिक्त दो कोर केबिल जोड़कर चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुआ पाया गया अथवा नहीं।**

14. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस घटना की तहरीर वादी श्री कुलदीप कुमार शिवहरे, उपखण्ड अधिकारी द्वारा थाना ए०पी०टी० जनपद हरदोई पर दिनांक 08.06.2022 को दी गयी। जिसके आधार पर अभियुक्त अमित त्रिपाठी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ए०पी०टी० पर दर्ज की गयी।

15. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना विवेचक पी०डब्लू०–02 रूहउल्ला खां, थाना ए०पी०टी० द्वारा निष्पादित की गयी है। विवेचक के द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि ''मुझे अमित त्रिपाठी उस समय मौके पर मौजूद नहीं मिला। अमित त्रिपाठी की पत्नी से मैंने बात की थी।'' इस बिन्दु पर प्रकरण

की केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकरण की केस डायरी में अमित त्रिपाठी की पत्नी का बयान अंतर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित नहीं किया गया है तथा केस डायरी में अमित त्रिपाठी का बयान पर्चा नंबर–3 में अंकित किया गया है। विवेचक के कथनानुसार जब वह घटनास्थल पर गए थे, तो उनको घटनास्थल पर अभियुक्त अमित त्रिपाठी नहीं मिला था। इसके पश्चात विवेचक के द्वारा घटनास्थल पर कभी जाया नहीं गया। अभियुक्त का बयान किस प्रकार से लिखा गया। अभियुक्त, विवेचक को किस स्थान पर और कब मिला था, इसके संबंध में प्रकरण की केस डायरी में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विद्युत) के द्वारा भी अपने तर्क व बहस में उक्त तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो कि मामले को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है। विवेचक के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि ''घटनास्थल पर जाकर कथित चोरी वाले परिसर में निवासी लोगों को बुलाकर पूछताछ की थी।'' इस बिन्दु पर भी प्रकरण की केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिसमें कथित चोरी वाले परिसर में निवासी लोगों का कोई भी बयान विवेचक के द्वारा अंकित नहीं किया गया है और गवाह के रूप में भी आरोप पत्र में इनका नाम अंकित नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू०–1 हिमांशु मौर्या ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''घटनास्थल पर कार्यवाही का वीडियो बनाया गया था।'' इस संबंध में प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–2 रूहउल्ला खां के द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि ''केस डायरी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो, सी०डी० उपलब्ध नहीं है। मुझे कोई भी वीडियो, सी०डी० या अन्य अभिलेख वादी मुकदमा या विभाग के किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।'' यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि घटनास्थल पर कार्यवाही करते समय संपूर्ण कार्यवाही का वीडियो बनाया गया था, तो वह वीडियो वादी या विद्युत विभाग के द्वारा पुलिस अधिकारी/विवेचक को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बारे में अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पत्रावली में ऐसा कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि घटना के समय तैयार किया गया वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विनष्ट हो गया हो, जिसके कारण वह विवेचक को नहीं दिया जा सका।

16. प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू०–2 रूहउल्ला खां के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''विवेचना में जब मैं मौके पर गया था, मुझे बिजली चोरी का कोई साक्ष्य घटनास्थल पर नहीं मिला था।'' यहां पर यह उल्लेखनीय है कि जब विवेचक को घटनास्थल पर जाने के पश्चात बिजली चोरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उनके द्वारा अभियुक्त अमित त्रिपाठी के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनयम का आरोप पत्र किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में भी अभियोजन पक्ष मौन है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विवेचक के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि ''विवेचना मिलने पर मैं घटनास्थल को एक सिपाही के साथ गया था।'' विवेचक के बयान के अनुसार वह घटनास्थल पर एक सिपाही के साथ गए थे, किस सिपाही के साथ गए थे, उसका नाम अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं बताया गया है। विवेचक घटनास्थल पर किसी भी विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ नहीं गए हैं, जबकि घटनास्थल पर घटना के समय केवल विद्युत विभाग के कर्मचारी ही गए थे। इस प्रकार उक्त घटनास्थल को एक सिपाही के द्वारा कैसे पहचाना गया और उसका

निरीक्षण कैसे कराया गया, इसका भी कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है।

17. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी स्वतंत्र साक्षी/जनता का गवाह मौजूद नहीं था और विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं विवेचक के द्वारा जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है, जिससे घटना संदेहास्पद हो जाती है। इस बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विद्युत) की ओर से यह कथन किया गया है कि जब पुलिस/विद्युत विभाग अपनी कार्यवाही करती है, तो वहां पर सामान्य रूप से जनता का कोई व्यक्ति साक्षी बनने से तैयार नहीं होता है, जिसके कारण जनता का कोई गवाह नहीं बनाया जा सका है। इस बिन्दु पर पी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित साक्षी हिमांशु मौर्या के बयान का अवलोकन किया गया। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि ''मेरी टीम में किसी भी व्यक्ति ने जनता के किसी भी व्यक्ति से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए नहीं कहा गया था।'' विवेचक के द्वारा इस बिन्दु पर यह कथन किया गया है कि ''मैंने केवल विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बयानों के आधार पर ही आरोप पत्र दाखिल किया था।'' दोनों साक्षियों के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल पर कोई जनता का साक्षी नहीं था। विवेचक के द्वारा जनता के साक्षी को तलाशने का दौरान विवेचना प्रयास नहीं किया गया। वादी मुकदमा ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उसकी टीम के किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनता के किसी भी व्यक्ति से गवाही देने के लिए नहीं कहा गया। यह स्वाभाविक है कि यदि किसी भी व्यक्ति से गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो वह सामान्य परिस्थितियों में गवाही देने के लिए अपने आप आगे नहीं आ सकता है। अतः अभियोजन के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि सामान्य रूप से जनता का कोई भी गवाह साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं था।

18. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट है कि मौके पर कोई निरीक्षण सूची तैयार नहीं की गयी है न ही मूल चेकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। मौके से कोई केबिल काटी गयी या नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है न ही किसी केबिल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। **उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति प्रदाय संहिता 2005 के खण्ड 8.1 में अधिनियम की धारा 135 B** के अधीन विद्युत चोरी के मामले में निरीक्षण औपबंधिक निर्धारण सुनवाई और अंतिम निर्धारण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीगार की जाने वाली प्रक्रिया विहित की गई है। उपरोक्त के **उपखण्ड VI** में यह व्यवस्था की गई है कि रिपोर्ट स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगी कि क्या प्रथम दृष्टया चोरी के मामले का अनुमान किया जा सकता है। रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और समुचित रसीद के अधीन तत्काल उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार करने या रसीद देने के लिए इंकार के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि परिसर में/के बाहर सहज दृश्य स्थान पर चिपकायी जाएगी और उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा। साथ ही साथ रिपोर्ट निरीक्षण के दिन या अगले दिन पंजीकृत डाक त्वरित डाक के अधीन उपभोक्ता को भेजी जाएगी। उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में निरीक्षण टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। जो यह दर्शित कर सकें कि क्या–क्या उपकरण मौके पर प्रयोग किये जा रहे थे। और उनको अभिरक्षा में लिया गया अथवा नहीं। चेकिंग रिपोर्ट पर न तो प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं और न ही

रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने विषयक कोई दस्तावेज पत्रावली पर हैं। इस प्रकार उक्त बाध्यकारी प्रावधान जो उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति प्रदायक संहिता 2005 के खण्ड 8.1 में दिये गये हैं का अनुपालन किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है।

19. **विद्युत अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 3** के अनुसार तलाशी के स्थान पर अभियोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहीत सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और ऐसे अभियोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि तलाशी के दौरान अभिग्रहीत वस्तुओं की कोई सूची अभिभोगी की उपस्थिति में तैयार की गई हो और ऐसी सूची की प्रति अभियोगी को दी गई हो और न ही ऐसी सूची पर अभियोगी के हस्ताक्षर कराये गये हैं। स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से उक्त प्रावधान का भी अनुपालन नहीं किया गया है। मौके पर जांच के दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जनता के गवाह बनाने का भी प्रयास नहीं किया गया है। जनता के किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट पर मौजूद नहीं हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जनता का कोई व्यक्ति घटना कारित होने का साक्षी नहीं है।

20. उपरोक्त समस्त तथ्यों परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध मामला संदेह के परे साबित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**–आदेश–**

i)– अभियुक्त **अमित त्रिपाठी** को आरोपित मुकदमा अपराध संख्या–612/2022, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम–2003, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई से **दोषमुक्त** किया जाता है।

ii)– अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानत पत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

**(योगेन्द्र चौहान)**
**अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–04/**
**विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।**
**जे०ओ० कोड–UP1608**

**दिनांक 25.07.2026**

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(योगेन्द्र चौहान)**
**अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–04/**
**विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।**
**जे०ओ० कोड–UP1608**

**दिनांक 25.07.2026**